न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :– 17/2025

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025/215

अनवान

1. हमीरा पुत्र मेगाजी, उम्र 57 वर्ष, जाति– ब्राह्मण, निवासी सिद्धेश्वर, तहसील– सांचौर, जिला– जालोर

प्रार्थी...........

1. तहसीलदार (भूमिधारी), सांचौर, तहसील सांचौर, जिला जालोर (राज.)।
2. बाबुलाल पुत्र आंबाराम, जाति– ब्राह्मण, निवासी– सिद्धेश्वर, तहसील–सांचौर, जिला– जालोर।
3. भवरसिंह पुत्र आंबाराम, जाति– ब्राह्मण, निवासी सिद्धेश्वर, तहसील–सांचौर, जिला– जालोर।
4. मोहनलाल पुत्र आंबाराम, जाति आहह्मण, निवासी सिद्धेश्वर, तहसील–सांचौर, जिला– जालोर।
5. शान्तादेवी पत्नी आंबाराम, जाति– ब्राह्मण, निवासी सिद्धेश्वर, तहसील–सांचौर, जिला– जालोर।
6. श्रीराम पुत्र वासुदेव, जाति ब्राह्मण, निवासी सिद्धेश्वर, तहसील–सांचौर, जिला– जालोर।
7. शांतादेवी पत्नी वासुदेव, जाति– ब्राह्मण, निवासी– सिद्धेश्वर, तहसील–सांचौर, जिला– जालोर।
8. वरधा पुत्र मेगाजी, जाति– ब्राह्मण, निवासी सिद्धेश्वर, तहसील–सांचौर, जिला– जालोर।
9. जितेन्द्रकुमार पुत्र सम्पतराज, जाति– जैन, निवासी सांचौर, तहसील–सांचौर, जिला– जालोर।
10. दिलीपकुमार पुत्र सम्पतराज, जाति जैन, निवासी सांचौर, तहसील–सांचौर, जिला– जालोर।
11. सम्पतराज पुत्र सिरेमल, जाति– जैन, निवासी– सांचौर, तहसील–सांचौर, जिला– जालोर।
12. हरेशकुमार पुत्र सम्पतराज, जाति– जैन, निवासी सांचौर, तहसील–सांचौर, जिला– जालोर।
13. केवला पुत्र मेगाजी, जाति– ब्राह्मण, निवासी– सिद्धेश्वर, तहसील–सांचौर, जिला– जालोर।
14. बाबू पुत्र मेगाजी, जाति ब्राह्मण, निवासी सिद्धेश्वर, तहसील सांचौर, जिला– जालोर (राज.)।
15. भमरा पुत्र सेगाजी, जाति– ब्राह्मण, निवासी सिद्धेश्वर, तहसील–सांचौर, जिला– जालोर।
16. सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर।

अप्रार्थीगण.............

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजु :– 03.09.2025

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश कलबी उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 2 से 8 एकपक्षीय।
3. अप्रार्थी संख्या 9 से 15 की ओर से अधिवक्ता श्री छोगाराम चौधरी उपस्थित।
4. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

–:निर्णयः–

दिनांक :– 06.02.2026

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजस्व प्रार्थना प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

प्रार्थी ग्राम सिद्धेश्वर का मूल निवासी है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि मौजा सिद्धेश्वर, पटवार हल्का पालड़ीसोलंकियान, तहसील सांचौर में विभिन्न खातों व खसरों में राजस्व रिकॉर्ड अनुसार दर्ज है। पूर्व में सम्वत 2064 से 2067 तक यह भूमि शामलाती थी, जिसका कुल रकबा 1.70 हेक्टेयर था तथा संबंधित हिस्सेदारों के नाम जमाबंदी में दर्ज थे। दिनांक 15.03.2011 को नामांतरण संख्या 203 तथा दिनांक 19.07.2021 को नामांतरण संख्या 439 स्वीकृत हुए। साथ ही, आपसी सहमति से खसरा संख्या 329 व 330 की भूमि का बंटवारा डीड मय नक्शा तहसीलदार, सांचौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे जांच उपरांत दिनांक 11.08.2011 को स्वीकृत कर नामांतरण आदेश क्रमांक राज/2011/143–145 जारी किया गया। किन्तु राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन करते समय खसरा नक्शे में त्रुटिवश परिवर्तन हो गया। उक्त लिपिकीय त्रुटि को सुधारने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत है। अतः निवेदन है कि धारा 131, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत बंटवारा स्वीकृति आदेश दिनांक 11.08.2011 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड के खसरा नक्शे की त्रुटि दुरुस्त करने का आदेश प्रदान किया जाए।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को न्यायालय मे जवाब हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 से 8 बाद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 9 से 15 की ओर से अधिवक्ता श्री छोगाराम चौधरी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

3. अप्रार्थी संख्या 9 से 15 की ओर से पेश जवाब के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है किः– अवतरण संख्या 01 से 04 तक वर्णित तथ्य जानकारी अनुसार सही व स्वीकार हैं। प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम सिद्धेश्वर, पटवार हल्का पालड़ी सोलंकियान, तहसील सांचौर में स्थित है। तहसीलदार सांचौर के आदेश क्रमांक राज/2011/143–145 दिनांक 11.08.2001 की पालना में बंटवाड़ा स्वीकृत हुआ तथा नामांतरण संख्या 217 दिनांक 14.12.2012 द्वारा भूमि जमाबंदी व नक्शे में दर्ज की गई। यदि स्वीकृत बंटवाड़ा आदेश के अनुसार संबंधित खसरों के नक्शे में परिवर्तन/लिपिकीय त्रुटि का संशोधन किया जाता है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

4. हमने उभय पक्षकारान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को बहस में दोहराते हुए निवेदन किया कि कि पद संख्या 3 में वर्णित बंटवाड़ा में नक्शा स्वीकृति आदेश के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड खसरा नक्शे की लिपीकीय त्रुटि को दुरस्त करने बाबत आदेश करावे। अप्रार्थी संख्या 9 से 15 ने अपने जवाब में निवेदन किया कि खसरा नक्शा में जो लिपिकीय त्रुटी हुई है उसे दुरस्त किया जाता है तो हमें काई आपत्ति नहीं है तथा इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 से 8 ने प्रार्थीगण के प्रार्थना का मौखिक या लिखित रुप से किसी भी प्रकार का खण्डन नहीं किया है ऐसी स्थिति में तहसीलदार सांचौर के बंटवाड़ा आदेश दिनांक 11.08.2011 को हुए आपसी बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड के खसरा नक्शे में उक्तानुसार किया जाना न्यायसंगत होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

अनवान हमीरा बनाम सरकार
मुकदमा नम्बर 17/2025
निर्णय तारीखः– 13.02.2026

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूपः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि आपके द्वारा दिनांक 11.08.2011 को आपसी बंटवाड़ा क्रमांक/राज/2011/143–145 अनुसार खातेदारों का पूर्व में अलग–अलग तरमीम किये गये थे। जिसमें राजस्व रेकर्ड खसरा नक्शे में जो लिपिकीय त्रुटि रही है उसे दुरस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है उपरोक्तानुसार तहसीलदार सांचौर के नाम पृथक से तहरीर जारी हो। पक्षकारान् अपना–अपना खर्चा वहन करे। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

निर्णय आज दिनांक 13.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

उपखण्ड अधिकारी सांचौर
जिला जालोर